

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस Notice for Extraordinary General Meeting

मंगलवार, 27 मार्च, 2012, वडोदरा
Tuesday, 27th March, 2012, Vadodara



निवेशक सेवा विभाग

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, प्रथम तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

INVESTORS' SERVICES DEPTT

Baroda Corporate Centre, 1st Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051. • Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस NOTICE	1
नोट NOTES	5
प्रॉक्सी फॉर्म PROXY FORM	9/10
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	11/12



प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26,
जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400 051

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26,
G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

नोटिस

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **मंगलवार, 27 मार्च, 2012** को प्रातः **10.00 बजे** सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर, सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा – 390020 में संपन्न होगी:

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना पारित करना:

“यह संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद जिसे ‘योजना’ कहा गया है) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 समय समय पर यथा संशोधित, के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद जिसे ‘अधिनियम’ कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और/या इस बारे

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of Baroda will be held on **Tuesday, 27th March 2012**, at **10.00 a.m.** at **Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020** to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (herein after referred to as the ‘Act’) read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (herein after referred to as the ‘Scheme’) and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals,

में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसे अनुमोदन की मंजूरी में उनके द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों, शर्तों और उसमें संशोधनों के अध्यक्षीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 अद्यतन तारीख तक यथा संशोधित, (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अध्यक्षीन और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसे यहां इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है जिसमें एक समिति का समावेश होगा जिसे बोर्ड द्वारा इस संकल्प के तहत प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए गठित किया जाएगा और / या गठित कर सकेगा) को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम तथा / या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआयसी) की विभिन्न योजनाओं / म्यूचुअल फंडों को अधिमानी आधार पर निर्धारित प्रीमियम पर रु.10/-प्रति (दस रुपए केवल) नकद मूल्य के 1,95,77,304 (एक करोड़ पचानवे लाख सतहत्तर हजार तीन सौ चार) तक इक्विटी शेयरों का सृजन करने, ऑफ़र करने, जारी करने तथा आबंटित करने की मंजूरी दी जाती है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध तारीख 24 फरवरी, 2012 है।”

consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended up to date (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 1,95,77,304 (One crore ninety five lac seventy seven thousand three hundred and four) equity shares of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) for cash at a premium to be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations on preferential basis to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC)/ Mutual Funds.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 24th February 2012.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल के पास भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों से शेयरों के निर्गम, आबंटन एवं उनको सूचीबद्ध करने हेतु उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करने /मंजूरी के समय उक्त प्रस्ताव में यथा अपेक्षित अथवा लागू किए गए किसी भी प्रकार के आशोधन को निदेशक मंडल की सहमति के अनुरूप स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य माने जाएंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके हकदार होंगे.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन हेतु बोर्ड पूर्णतः अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित तथा वांछनीय प्रतीत होने वाले ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों तथा कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, समस्या या संदेह का निपटान करने और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और कृत्यों को करने, अपने पूर्णतः विवेकानुसार शेयरधारकों की आगे कोई और सहमति या अनुमोदन लिए बिना आवश्यक, वांछनीय या जरूरी सभी दस्तावेजों और लिखतों को अंतिम रूप देने और उन्हें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है अथवा शेयरधारकों की ओर से करने और उनकी ओर से अभिप्रेत को करने के लिए अधिकृत करने हेतु इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनुसार उनका अनुमोदन माना जाएगा.”

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशकों अथवा बैंक के किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, उपरोक्त संकल्प लागू करने हेतु, इसमें यहां प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

एम. डी. मल्ल्या

(एम. डी. मल्ल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 फरवरी, 2012

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors



(M. D. Mallya)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 28th February 2012

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची की मद से संबंधित व्याख्यानत्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं के स्थान पर बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र होगा / होगी और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। तथापि, ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह अनिवार्य है कि वह बैंक के प्रधान कार्यालय के एएमएल विभाग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8 वां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वड़ोदरा - 390 005 को बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् बृहस्पतिवार, दिनांक 22 मार्च 2012 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व मिल जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर तथा मीटिंग) सामान्य विनियम 1998, समय समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उसे बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से **4 दिन** पूर्व अर्थात् बृहस्पतिवार, दिनांक 22 मार्च, 2012 को बैंक का कार्य समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले एएमएल विभाग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8 वां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वड़ोदरा - 390 005 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के पास जमा न कर दिया गया हो। कृपया नोट करें कि बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर तथा मीटिंग) सामान्य विनियम 1998, समय समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement concerning the agenda item is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However the Proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office situated at Bank of Baroda, AML Dept., 8th floor, Suraj Plaza I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 pm on Thursday, 22nd March, 2012. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of Bank of Baroda General (Share and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office situated at Bank of Baroda, AML Dept., 8th floor, Suraj Plaza I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 pm on Thursday, 22nd March, 2012. Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulation 1998, as amended from time to time.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें। प्रॉक्सी / शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र में जैसा मामला हो, स्पष्ट करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' है।

5. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न तदनुरूपी नये बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 1 प्रतिशत से अधिक धारित शेयरों के बारे में मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा।

शेयरधारकों से नोटिस की अपनी प्रतियां बैठक में लाने का अनुरोध है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 अद्यतन यथा संशोधित के अनुसार किये जाने के लिए अपेक्षित प्रकटीकरण

(क) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य :

आस्तियों में स्थिर वृद्धि हासिल करने और सुदृढ़ सीआरएआर हेतु पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि केवल लाभ को पुनः निवेशित करने से आस्तियों में वांछित वृद्धि हेतु अभिकलित पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने स्वयं तथा / अथवा इसकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह इच्छा व्यक्त की और बैंक की निर्गम पूर्व पूंजी का 5% तक अर्थात् 1,95,77,304 (एक करोड़ पचास लाख सत्तहत्तर हजार तीन सौ चार) इक्विटी शेयर अधिमानी आधार पर अर्जित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार जुटाई गई पूंजी से पूंजी पर्याप्तता में सुधार होगा और बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को निधियां प्राप्त होगी।

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

5. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE TO THE MEETING.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended up to date.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to achieve a sustainable growth in its assets and maintaining robust CRAR, need is felt for augmenting capital as the plough back of profits alone would not be adequate enough to meet the required capital to support the envisaged asset growth.

LIC through itself and / or its various schemes has expressed its intention and has given its principle approval to acquire equity shares upto 5% of the pre-issue capital of the Bank on a preferential basis i.e. upto 1,95,77,304 (One crore ninety five lac seventy seven thousand three hundred and four) equity shares. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

(ख) चूंकि प्रस्तावित निर्गम, भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा. निर्गम का मूल्य सेबी आईसीडीआर के विनियम 76 (4), अद्यतन तारीख तक यथा संशोधित के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(ग) निर्गम – पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का स्वरूप

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गमपूर्व (24.2.2012 के अनुसार)		निर्गम उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयर-धारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर-धारिता प्रतिशत
क	प्रर्वतक की धारिता (भारत सरकार)	223279579	57.03	223279579	54.31
ख	गैर प्रर्वतक धारिता	168266500	42.97	187843804	45.69
	कुल	391546079	100.00	411123383	100.00

(घ) सेबी आईसीडीआर विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर बैंक निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास कर रहा है.

(ङ) आईसीडीआर विनियमों की शर्तों के अनुसार जीवन बीमा निगम की पूर्व अधिमानी धारिता को लाक-इन करना जरूरी नहीं है.

(च) भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता निर्गम पूर्व एवं निर्गम उपरांत निम्नानुसार होगी.

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व (24 फरवरी 2012 के अनुसार)	30183225	7.71
निर्गम उपरांत	49760529	12.10

(छ) बैंक का इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक से सूचीबद्ध है और इस कारण सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 (3) एवं 78 (5) और सेबी

b) As the issue is proposed to LIC, there would not be any change in control. The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 24.2.2012)		After the issue	
		No. of shares held	Per-centage of share-holding	No. of shares held	Per-centage of share-holding
A	Promoter's Holding (Government of India)	223279579	57.03	223279579	54.31
B	Non – Promoter Holding	168266500	42.97	187843804	45.69
	Total	391546079	100.00	411123383	100.00

d. The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e. In terms of ICDR Regulations, pre-preferential holding of LIC is not required to be locked-in.

f. The Pre and Post issue shareholding of Life Insurance Corporation of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue (As on 24th February 2012)	30183225	7.71
Post -issue	49760529	12.10

g. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76

(आईसीडीआर) विनियमन 2009 के विनियम 73 (1) (एफ) तथा (जी) के अंतर्गत प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ज) जीवन बीमा निगम को जारी तथा आबंटित शेयर, आबंटन की तारीख से 1 वर्ष के लिए लाक-इन रहेंगे।

(झ) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि यह निर्गम इन विनियमनों की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

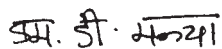
(ञ) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिकरूप में हैं तथा बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किये गये सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की अनवरत सूचीबद्धता की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।

(ट) जीवन बीमा निगम, बीमा कंपनी होने के कारण सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 72 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित तारीख से 6 माह पूर्व इक्विटी शेयर न बेचने के संबंध में छूट प्राप्त है।

(ठ) आपके निदेशकों ने विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

बैंक का कोई भी निदेशक इस संकल्प से संबंधित अथवा इसमें उनका हित कोई निहित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा



(एम.डी.मल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक: 28 फरवरी, 2012

(3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

h. The shares to be issued and allotted to LIC shall be locked in for a period of one year from the date of Allotment.

i. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

j. All the shares held by Life Insurance Corporation of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

k. LIC being an Insurance Company is exempt from the provisions of Regulation 72 (2) of the SEBI ICDR Regulations relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.

l. Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By order of the Board of Directors



(M. D. Mallya)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 28th February 2012

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा - 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डीपीआईडीनं. (यदि अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या	

मैं/ हम _____ निवासी _____ जिला _____

_____ राज्य _____ बैंक ऑफ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा

श्री/ श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को मंगलवार, 27 मार्च 2012

को प्रातः 10:00 बजे सर सयाजी राव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी. पी- 1, एफ. पी. 549/1, जीईबी कॉलोनीके पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा- 390020 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं / करती हूं / करते हैं।

दिनांक _____ माह _____ 2012

को हस्ताक्षरित _____

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पता : _____

रसीदी
टिकट

प्रथम शेयरधारक / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी का कोई लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि,
 - यह एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
 - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
 - निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
 - फॉर्म बी में हो और विधिवत् रूप से स्टाम्पित हो.
- प्रॉक्सी-लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगुष्ठ का निशान वहां लगा है, तो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्स या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत होना चाहिए.
- प्रॉक्सी के साथ
 - मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा
 - मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक अथवा

मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की गई बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक(एएमएल), बैंक ऑफ बड़ौदा, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, वडोदरा - 390005 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् बृहस्पतिवार 22 मार्च 2012 को कार्यसमाप्ति से पूर्व दोपहर दो बजे से पहले जमा किया जाना चाहिए.

- यदि संबद्ध मुख्तारनामा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास अथवा उसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामा का पंजीकरण क्रमांक तथा इसप्रकार के पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी
- विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित करनेवाला शेयरधारक उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं करेगा जिस बैठक के संबंध में लिखत है।
- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी फॉर्म में किए गए सभी फेरबदल पर विधिवत रूप से आद्यक्षर किए जाने चाहिए.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

FORM 'B' FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of BANK OF BARODA, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **Tuesday, 27th March 2012, at 10.00 a.m., at Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012.

Signature of the Proxy _____

Name : _____

Address : _____

Revenue
stamp

Signature of first /sole holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND DEPOSITING THE PROXY FORM

- The instrument of proxy to be valid,
 - in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing ,
 - in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing, and
 - shall be in the Form B and duly stamped.
- An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Bank of Baroda.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office with Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the 22nd March, 2012.**
- In case the relevant power of attorney is already registered with Bank of Baroda or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of BANK OF BARODA.
- All alteration in the Proxy Form should be duly initialled by executant.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा - 390 006

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय सुपुर्द करनी है)

दिनांक	27 मार्च 2012
समय	प्रातः 10.00 बजे
स्थान	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर, सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020

शेयरधारक / प्रोक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
रजिस्टर्ड फोलियो (यदि अभौतिक नहीं है)/ डीपीआईडी नं एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)/	
शेयर धारक का नाम	
शेयर की संख्या	

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा - 390 006

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

शेयरधारक / प्रोक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
रजिस्टर्ड फोलियो (यदि अभौतिक नहीं है)/ डीपीआईडी नं एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)/	
शेयर धारक का नाम	
शेयर की संख्या	

शेयरधारक / प्रोक्सी / शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश के लिए, बैंक में रजिस्टर किए गए नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप यथाविधि हस्ताक्षरित उपरोक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेश पत्र एक साथ प्रस्तुत करें. तथापि प्रवेश सत्यापन/जांच जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

Date	27th March 2012
Time	10.00 A.M.
Place	Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present	
Regd. Folio No. (if not dematerialized) / D.P. ID & Client ID(if dematerialized)	
Name of the Shareholder	
No. of Shares	

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	
Regd. Folio No. (if not dematerialized) / D.P. ID & Client ID(if dematerialized)	
Name of the Shareholder	
No. of Shares	

Shareholders/proxy or authorized representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting hall.

बुक पोस्ट
Book-Post



गैर सुपुर्दगी की स्थिति में नीचे दिए गए पते पर लौटायें :

मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास
विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500081
फोन नं : 040-2342 0815 से 820
फैक्स नं : 040-2342 0814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

If undelivered, please return to:

M/s Karvy Computershare Private Ltd
(Unit : Bank of Baroda)
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital
Vittalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081
Phone No. 040 – 2342 0815 to 820,
Fax No. 040 – 2342 0814
e-mail : einward.ris@karvy.com